

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं. 05/Exam/SI-PC/RPSC/EP-I/2025-26

दिनांक : 17.07.2025

आयोग द्वारा गृह (पुरुष-1) विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र के कुल 1015 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद रखाई है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की शाखावार संख्या निम्नानुसार है:-

पदनाम	कुल रिक्त पद
उप निरीक्षक (एपी)	896
उप निरीक्षक (एपी) सहरिया	4
उप निरीक्षक (एपी) अनुसूचित क्षेत्र	25
उप निरीक्षक (आईडी)	26
प्लाटून कमाण्डर (आरएसी)	64
योग	1015

नोट :-

उक्त पदों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपार प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपार होंगे।

टिप्पणी:- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें।

- सभी अभ्यर्थी उपरोक्त तीनों शाखाओं उपनिरीक्षक-Armed Police & Intelligence Bureau एवं प्लाटून कमाण्डर-Rajasthan Armed Constabulary के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपसूचित अभ्यर्थी उपलब्ध के दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई अप्रीति सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आवश्यक प्रभावित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के विक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधावा या विचिन्न विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को विचिन्न विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधावा और विचिन्न विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियों उचिती प्रवार्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की जायेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधावाओं और विचिन्न विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित प्रवर्ग की भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाएं गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और उपरोक्त भूतपूर्व सैनिकों की जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार उपरोक्त जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन के अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों के अनुपलब्धता की जायेगी और उपरोक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की जायेगी। महिला अभ्यर्थियों वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो टिप्पणी:- “बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्रावधान संबंधित वर्गों के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगे।”

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or State Legislature or declared to be deemed as University Under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or posses an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

Note: 1. अभ्यर्थी को वाइछिंन शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुभव संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अहंता नहीं होने पर भी उपरोक्त भूतपूर्व सैनिकों में रिक्तियों विवरण दिनांक 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पत्रता जांच/साक्षात्कार के द्वारा अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अधिकता के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जांत करने का सबूत देना होगा।
रनिंग पे-वैण्ड	पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिविकाल में नियत मिसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिये।
	नोट :- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2021 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अंतर्गत दशाये आवेदन पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान
--

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं विशिष्ट श्रेणियों	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years

3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	भूतपूर्व सेनिकों और रिजर्विट अर्थात् जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age-limit mentioned above shall be 40 years in the case of Ex-Services Personnel and the Reservists, namely the service personnel who are transferred to Reserved.	
5.	राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्तव्य पालन करते समय मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिये अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी। 3 Years in case of the candidates belonging to the State Government employees and the dependents of the deceased Police Officers/Officials killed in the discharge of their duties.	
6.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the army, shall be deemed to be within the age-limit, when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही नियमावधी माने जायेंगे।		
नोट -		
1.	उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 06 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अम्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आगुरीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	
3.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अम्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
4.	अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मात्र होगे।	
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अन्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कोरिंग/मोडेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 23 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अन्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशस्ति किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कूल अंकों के योग के अनुसार भेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 10.08.2025 से दिनांक 08.09.2025 तक 12-00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उपर दत्त हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अम्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अम्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशेष भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अम्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेंडरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्ड्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p> <p>3. जिन अन्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अम्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अम्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेंडरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से साक्षात्कारीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अम्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व त्रिप्तीपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो का अपलोड कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा। अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो को अपलोड करेगा। अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अम्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बैंयों हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभियार्ग की उपस्थिति में अम्यर्थी के द्वारा उपरिख्यत पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।</p> <p>7. अम्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति प्रतक पर चम्पा करने हेतु साथ लेकर आयें।</p> <p>8. अन्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।</p> <p>9. अम्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अंजित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जामा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>11. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो उसके अनुसार आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो उसके अनुसार आवेदन करते हैं तो उसका आवेदन-पत्र जामा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit करने से पूर्व अपनी अन्यर्थी पर डिबार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए रखते होंगे।</p> <p>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को Preview को आवेदन Submit करने से पूर्व अपनी अन्यर्थी को अंकित करें।</p> <p>14. अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की हाई कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अन्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑफलाइन पत्राचार रसीकरण नहीं किया जायेगा।</p>	

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अंजित करना आवश्यक है-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajanstan.gov.in> पर उपलब्ध दिव्यांगजन निवारण) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।

Note: विच्छिन्न विवाह/तलाक्युदा/परिवर्तन स्वीकार की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिग्री जारी होने की रिप्टिंग में ही वर्ता परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकती है।

3. **One Time Registration (OTR)** लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।

4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।

5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।

6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।

7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकवारीय पंजीयन शुल्क : कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकवारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. सामान्य (अनारकित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी - रूपये 600/-

2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी - रूपये 400/-

3. दिव्यांगजन - रूपये 400/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।

2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकवारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं।

एकवारीय पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है:-

(i) कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी रिप्टिंग में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750/- रूपये प्रति अन्य भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ओटीआर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

(iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।

(iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अभ्यर्थी के द्वारा राशि रूपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात ही ओटीआर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।

टिप्पणी-यदि कोई अवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ओटीआर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करानी होगी।

3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करानी होगी।

4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत प्रभावित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिकोणीय (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पात्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के लाला Section-2(r) के तहत प्रभावित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत प्रभावित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।

6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

नियम 14 के अनुसार Physical fitness:-

(1) A candidate for direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate promoted in the regular line of promotion or who is already serving in connection with the affairs of the State, if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him are to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.

(2) Except in the case of women candidates no candidate who is less than 168 Cms in height and whose deflated chest measurement is less than 81 Cms and inflated less than 86 Cms with a minimum 5 Cms expansion of chest shall be deemed to be physically fit;

Provided that:-

(i) the height and weight of women candidates of any category shall not be less than 152 centimetre and 47.5 kilogram respectively, except Saharia candidates.

(ii) candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose height and chest measurements are less by 5 centimetres shall be deemed to be physically fit in case requisite numbers of suitable Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates possessing physical fitness standards as laid down in sub-rule (2) of rule 14 are not available.

(iii) the height of Garhwali and Gurkha candidates shall not be less than 160 centimetre and their deflated and inflated chest must not be less than 79 and 84 centimetre, respectively;

Signature

A written Competitive Examination for the post of Sub-Inspector and Platoon Commander shall be conducted by the Commission at such place and time as may be notified by the Commission on the following pattern :-

S. No.	Subject	Duration	Maximum Marks
1	General Hindi	2 hours	200
2	General Knowledge & General Science	2 hours	200

Note :- Syllabus and standards of each subject will be designed in consultation with the Commission

Candidates who obtain 36 percent of marks in each paper and 40 percent in the aggregate shall be deemed to have passed the qualifying examination conducted by the Commission or the Recruitment Board as the case may be. The Commission shall send the list of such successful candidates up to 20 times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained in the written examination.

Provided that relaxation up to 5 marks will be available to candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each paper and in the aggregate.

All candidates who are declared successful in the written examination shall be required to appear before a Physical Efficiency Board, consisting of the Director General-cum-Inspector General of Police or his representative not below the rank of Inspector General of Police, One Deputy Inspector General of Police, One Superintendent of Police/Commandant nominated by the Director General-cum-Inspector General of Police for Physical efficiency test for various districts or group of districts as may be notified. The Physical efficiency test would be vigorous as laid down by the Director General of Police to adjudge suitability of the candidate. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidate who secure 50% marks there in, shall be eligible for selection. Candidates who are declared successful in the written test and in the physical efficiency test shall be eligible for aptitude test and interview.

Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained both in the written and in the physical efficiency test except in the case of scheduled castes and scheduled tribes candidates who shall be eligible for interview in excess of the prescribed limit if they have qualified in the written examination and the physical efficiency test.

The aptitude test and interview of the candidates qualifying physical efficiency test, shall carry 50 marks. The Recruitment Board shall award marks to each candidate in respect of suitability to the post, taking into considerations personality, address, tact, behaviour, specialised training, aptitude for the post, judgment, leadership and knowledge of Rajasthani culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate. Candidates holding Degree or Diploma in Criminology or N.C.C. „C“ Certificate or who have offered police Administration as one of the papers for the degree examination may be given weight.

RECOMMENDATION

The Commission shall not recommend candidates, who have secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate.

Provided that the Commission may recommend women candidates, candidates belonging to the BC, MBC, SC, ST, EWS who though failing to obtain the minimum marks, are declared by Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintain of efficiency of administration, if the candidates secure 30% marks in interview and 40% marks in the aggregates.

नोट:- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 18(A)(i) में विहित प्रावधाननुसार भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम उत्तीणकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अन्यथा Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अन्यथा की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. अन्यथा यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. अन्यथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्री और ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण अंतिम आवेदक सर्वीसप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करें तो परिवर्तन किया जाता है। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि होने पर उहाँ सुधारने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसके जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन संशोधन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्टॉकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायरित स्वयं अन्यथा की हो जाएगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्री के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जाएगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यथा के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्तराखण्ड क्षेत्री/विधावा/विधिवा/विधिन विवाह/तलाकशुदा/परिवर्तका/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित वर्ग/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत की अंतिम दिनांक पश्चात/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यथाएँ को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग/भरी है, उसी श्रेणी/वर्ग/भरी से ही मानकर आवेदक की जाँच आवेदन-पत्र भरा है तो उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अन्यथा की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की शिक्षित के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होगी।
7. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग वार्ता को पूर्ण सूचना भर्याएं, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा आनंदित (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनियाय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनित्य रूप से सही जाँच गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अन्यथा इस रूप से चयन होने की शिक्षित में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
8. किसी भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्यथा को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हेतु निर्धारित संमयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्थित ही निश्चिय हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्टॉकार नहीं किया जायेगा एवं अन्यथा की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्यथा की होगी।
9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएसपी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात विवाह स्वयं अन्यथा की होगी।

2

10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने / त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात कोई अस्थर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवैक्षण परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा होना आवार-कार्ड, मूल्य प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज़ (यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अस्थर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिट्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
11. विच्छिन्न विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका महिला अस्थर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आक्षणक का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवर्तका/ तलाकशुदा/ विच्छिन्न विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/ वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/ लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परिवर्तका/ विच्छिन्न विवाह/ तलाकशुदा श्रेणी/ वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/ श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/ श्रेणी संशोधन की दिनांक तक परिवर्तवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक उक्त पत्र हेतु तभी आवेदन करें जब वह उत्तर पद हेतु विज्ञापन में विशिष्ट निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/ मापदण्ड पूर्ण करता है। विज्ञापन में दी गई विचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को अंतिम की योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीक्षा के द्वारा प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/ त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/ सही होने अथवा उत्तर कुंजी में लगती/ त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अस्थर्थियों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई परीक्षार्थी द्वारा केन्द्रधीयक/ अभियागर/ आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/ परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/ परीक्षार्थी में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवधान/ हांगाम करने एवं परीक्षार्थी में अनुचित साधनों का प्रयोग/ उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/ केन्द्रधीयक जो भी उचित समझ समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध डिवार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि किसी अस्थर्थी/ परीक्षार्थी को आयोग/ संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/ परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/ उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/ केन्द्रधीयक जो भी उचित समझ समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
19. यदि किसी अस्थर्थी/ परीक्षार्थी को आयोग/ संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/ परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/ उपयोग या अनुचित/ अमद्र व्यवहार के लिए भवित्व की परीक्षाओं/ साक्षात्कारों आदि से विवरित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/ साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अस्थर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उत्तर लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विच्छिन्न वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ उत्तर्घट खिलाड़ी/ भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/ विधवा/ विच्छिन्न विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका/ विकलांगता/ राज्य कर्मचारी/ गैर राजपत्रित कर्मचारी/ मन्त्रालयिक कर्मचारी/ विभागीय कर्मचारी/ अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/ मुख्य परीक्षा/ संवैक्षण परीक्षा में उत्तरी घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ को अस्थर्थियों को आक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं को अन्य अस्थर्थी द्वारा आवेदन करने/ परीक्षार्थी में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवधान/ हांगाम करने एवं परीक्षार्थी में अनुचित साधनों का प्रयोग/ उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/ केन्द्रधीयक जो भी उचित समझ समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध डिवार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अस्थर्थी के अनुचित प्रदान नहीं की जायेगी।

- पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/ नौन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आयोग/ अन्य भर्ती एजेन्सियों की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आयोग के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवरित प्रारूप में नियमानुसार आयोग द्वारा प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम, निवास स्थान व आयोग के आधार पर उसके पास पूर्व का प्राप्त करना होगा।

3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अस्थर्थियों को आक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अस्थर्थीयों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उत्तर अधिसूचना दिनांक आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की विवाहित प्रारूप में नियमानुसार आयोग जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवरित प्रारूप में नियमानुसार आयोग जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवरित प्रारूप में नियमानुसार आयोग जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अस्थर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार परिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति प्रारूप में जारी किया हुआ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्रदान करना आवश्यक है। Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता की परिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक योग्यता/ अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/ परीक्षा/ दिनांक/ साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अंजित होना आवश्यक है तथा शैक्षणीय परीक्षा/ वर्ग/ जाति/ अनुसूचित क्षेत्र/ श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकड़ी परीक्षा प्रमाण-पत्र), आयोग-पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विवाहित प्रारूप में नियमानुसार आयोग जाति होना चाहिए। विवाहित प्रारूप में नियमानुसार आयोग जाति प्रमाण-पत्र विवाहित प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार विवरित क्षेत्र की विवाहित प्रारूप में आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। इसी प्रकार विवरित क्षेत्र की विवाहित प्रारूप में आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

* नोट:- निदेशलाल विशेष योग्यजन के आवेदन दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./ स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अंजित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति के भीतर लेने से विवाहित प्राधिकारी से समाप्त सेवानिवृत्ति के प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियोजित प्रमाण पत्र के भीतर लेने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/ होनी वाली महिला आवेदक के पास पति का मूल प्राप्ति पत्र यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/ श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार विवरित क्षेत्र की विवाहित प्रारूप में आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापाति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ग की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक का आक्षण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन किसी पत्र के लिए उसके पति का भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्राप्ति करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक विवाहित प्राधिकारी परावरण का ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसके ग्रहण करने से पूर्व,

लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। “कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सेवाओं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेल) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।”


9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना चाहीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अन्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से ऐदा हुई हो और निश्चित हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना चाहीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञान में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शक्तिगत योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपाराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपाराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद च्याधिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु आपत्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकल्पा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से चरक्षण है एवं राज्य सेवा यथा कन्नदीय/राज्य/सरकारी उपकरणों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
16. 17. अन्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकवारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थी हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण नियमों का अधिमार्दीर्घना-पत्र/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि रखीकर नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अन्यर्थी की पात्रता की जाँच संबंधित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अन्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के अधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अन्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अन्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अन्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त रिक्ति उत्तरानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-प्रिंटर/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अन्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन-पत्र-व्यवहार संबंधित किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में रिक्त स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संविव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को संबोधित किया जाए।


 (रामनिवास महता)
 सचिव

क्रमांक: F. 8-A(02)Exam/SI-PC/RPSC/EP-I/2025-26/ 42

दिनांक : 17.07.2025

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त महानिदेशक, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक न-5(2)पु.फो./उ.नि.मर्ती/अनु.12/2025/2705 दिनांक 11.07.2025 के क्रम में सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17/7/25
 संयुक्त सचिव